

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज०)

करण सं० 28/2021

तारीख दायर :-29.11.2021

दिनांक निर्णय :-16.12.2021

सरकार जरिये पटवारी हल्का सूरेर तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

कैलाश पुत्र फूल्या जाति मीना निवासी ग्राम सूरेर तहसील राजगढ़ अलवर

अन्तर्गत धारा राजस्थान भू० राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। गैरसायल अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, गैरसायल द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का सूरेर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिससे गैरसायल का अतिक्रमण सिद्ध होता है। जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत गैरसायल को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस द्वारा तलब किया गया। गैरसायल कैलाश पुत्र फूल्या जाति मीना उपस्थित रहा गैरसायल द्वारा नोटिस का जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया जिसमें गैरसायल द्वारा कथन किया गया है कि अतिक्रमण पहले से ही हटा लिया गया है। जो कि सही नहीं है, गैरसायल की मंशा अतिक्रमण को कायम रखने की प्रतीत होती है। चूँकी रिपोर्ट पटवारी हल्का सूरेर के अनुसार राजकीय भूमि पर गैरसायल द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्बत 2078 में बाड़ लगाकर कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:- अतिक्रमी कैलाश पुत्र फूल्या जाति मीना निवासी ग्राम सूरेर को आराजी ख०न० 660/0.11 रकबा 0.01 हे० व 630/0.04 रकबा 0.01 हे० किस्म गैर मु० रास्ता सिवायचक से वाके ग्राम सूरेर से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1.00 की 50 गुणा में मु० 50.00/-रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावे। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों/पटवारी हल्का सूरेर को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट मय घटना बही की रिपोर्ट सहित पालना प्रस्तुत करे। आज दिनांक 16.12.2021 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



रा. ले. स. 4 वर्ष. 2021-22
के पृष्ठ संख्या. 11. प. स. सि. च. प. 50/-
राशि कायम किये गये।

त. रा. लेखाकार

तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर
तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)